परिशिष्ट "एक"
(राजस्व विभाग का ज्ञाप क्र. 6—144/
सात-सा 2 बी-89, दिनांक 18-2-94)

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्रमांक एफ. 6-115-आठ (9)-77 भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 86

प्रति,

जिलाध्यक्ष (समस्त)
मध्यप्रदेश.

विषय:— भारत-पाक विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारण.

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भारत-पाक विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 की कंडिका 27 के अनुरूप निम्न शर्तों के अधीन भूमि व्यवस्थापित किये जाने का निर्णय लिया है:—

(1) अतिक्रामक विस्थापित हो.

(2) उसकी अन्यत्र कहीं भी दुकान या मकान के लिये प्रश्नाधीन कब्जे के दिन भूमि न हो.

(3) 4800 वर्गफुट तक की भूमि के लिये प्रव्याजि रुपये 500.00 (रुपये पांच सौ) तथा वार्षिक भू-भाटक 31.25 (रुपये इकतीस पैसे पचीस) वसूल किया जाय.

(4) वार्षिक भू-भाटक 31-12-1970 के बाद वसूल किया जाय.

(5) 4800 वर्गफुट से अधिक अतिक्रमिक भूमि के लिये नियमानुसार प्रचलित दर पर प्रव्याजि एवं भू-भाटक का निर्धारण किया जाय.

(6) यह लाभ केवल उन्हीं विस्थापितों को दिया जाय जिनका अतिक्रमण दिनांक 31-12-1976 या उसके पूर्व का हो. उसके बाद के सभी अतिक्रमण व्यक्तिगत अर्थात् इण्डवीजुअल बेसिस पर निपटाये जायें.

(7) जो मामले पूर्व में निपट चुके हैं उनमें आदेशों के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा.

2. जिस भूमि का अतिक्रमण व्यवसायिक प्रयोजन हेतु हुआ है उसका भी व्यवस्थापन किया जाय इन प्रकरणों में शासन द्वारा जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है उसके अनुसार प्रव्याजि निर्धारित की जाय भू-भाटक प्रव्याजि का साढ़े सात प्रतिशत निर्धारित होगा. निर्णय की कंडिका 1, 2, 4, 6 तथा 7 इन प्रकरणों पर भी लागू होगी.

3. यह निर्णय प्रदेश के उन सभी छः स्थानों के लिये लागू होगा जहां भारत-पाक विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार बसाये गये थे चाहे वे सिंधी हों या अन्य.

4. भोपाल बस स्टेण्ड के समीप इसरानी मार्केट के प्रकरण में शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया गया है जो लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ. क्रमांक एफ. 6-115-आठ (9)-77 भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 86

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग को समानता लाने की दृष्टि से इसी प्रकार की भूमियों पर भी विस्थापितों के संबंध में यही नीति लागू किये जाने हेतु भारत सरकार से निवेदन करने हेतु अग्रेपित.
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेपित.
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित.
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को सूचनार्थ अग्रेपित.

हस्ता./-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 6-144/सात/सा-2बी/89 भोपाल, दिनांक 18-2-1994

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय :— मध्यप्रदेश में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों के व्यवस्थापन के संबंध में।

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि वर्ष 1986 में शासन के स्पष्ट निर्देशों व हिदायतों के बावजूद प्रदेश के कई नगरों में भारत-पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थी परिवारों के व्यवस्थापन के बहुत से प्रकरण लंबित हैं। ज्ञात जानकारी के अनुसार भोपाल, बिलासपुर, कटनी (जबलपुर), सागर व सतना में अभी भी 2434 ऐसे प्रकरण लंबित हैं। यद्यपि इन प्रकरणों के लंबित रहने के कुछ कारण हो सकते हैं, तथापि यह अत्यंत खेद का विषय है कि इस विषय में पर्याप्त तत्परता नहीं बरती जा रही है।

2. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत-पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थी परिवारों को आये अब 45-47 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान कई मूल विस्थापित स्वर्गवासी हो गये होंगे या/और अन्य व्यवसाय, नौकरी एवं सामाजिक/पारिवारिक मजबूरियों के कारण अन्यत्र जाकर बस गये होंगे। इतने अधिक वर्षों में सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं व्यावसायिक आदि प्रकार की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रही होंगी। यह चिन्ता का विषय है कि पिछले 45-47 वर्षों से हम विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन से अभी भी जूझ रहे हैं। अतएव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब यह कार्य अभियान स्तर पर **3 माह के अन्दर अवश्य पूर्णतया निपटाया जावे।**

3. इस कार्य को सदैव के लिये निपटाने का दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें पिछले 45-47 वर्षों में हुई गतिविधियों को भी परिप्रेक्ष्य में रखना होगा। यह पुनः उल्लेखित किया जाता है कि शासन का यह दृढ़ निर्णय है कि विस्थापितों के व्यवस्थापन का सम्पूर्ण कार्य अगले **3 माह के अन्दर निपटा दिया जावे।**

4. भारत-पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कंडिका 27 के अनुरूप एवं राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-115/आठ (9) 77, दिनांक 9 जुलाई 1986 (परिशिष्ट-एक में संलग्न) में दी गई शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

5. भोपाल में बस स्टैंड के समीप इसरानी बैनर्जी मार्केट के प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग के ज्ञापन क्र. 22-15/83/28, दिनांक 5-11-88 (परिशिष्ट-दो) एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर 1989 (परिशिष्ट-तीन में संलग्न) में दर्शाई शर्तों के अधीन व्यवस्थापन किया जाय।

6. जिन जिलों में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कंडिका 27 के अन्तर्गत 20 वर्षों के लिये अस्थाई पट्टे दे दिए गये हैं और उनकी समयावधि समाप्त हो गई है, ऐसे पट्टेदारों को वर्ष 1986 के परिशिष्ट एक के आदेश अनुसार ही स्थाई पट्टे दिये जायें, किन्तु—

(1) विस्थापितों के लिये सुरक्षित/नियत बसाहटों/कालोनियों में स्थाई पट्टा मूल आवंटिती अथवा उस वर्तमान कब्जेदार के नाम दिया जाय जो उसका कोई वैध अन्तरण प्रस्तुत कर सके चाहे वह विरासत से हो अथवा वैध अंतरण से।

(2) ऐसी बसाहटों/कालोनियों में जो प्लाट 1-1-94 की स्थिति में अभी भी रिक्त हों और जिनका कोई वैध कब्जेदार नहीं हो, को शासन में वेष्टित किया जाये।

(3) जहां प्लाट के मूल प्रयोजन में परिवर्तन कर लिया गया है, उस स्थिति में स्थाई पट्टा वर्तमान प्रयोजन के लिये दिया जाये, और उसके लिये प्रव्याजि एवं भू-भाटक तद्नुसार वर्तमान प्रयोजन के लिये ही नियत किया जाये।

(4) यदि किसी विस्थापित परिवार/व्यक्ति ने मूल पट्टे के आकार से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, और यदि उस अतिक्रमण से कोई सार्वजनिक बाधा अथवा कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, तो मूल पट्टे से अधिक किये गये अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन भी वर्तमान निर्धारित बाजार दर पर किया जाय। परन्तु यदि उस अतिक्रमण से कोई गंभीर सार्वजनिक बाधा उत्पन्न होती है तो उसे नियमानुसार हटाया जाये। परिशिष्ट-एक, दिनांक 9-7-86 का, परिशिष्ट दो, दिनांक 5-11-88 एवं परिशिष्ट-तीन, दिनांक 19-12-89 के ज्ञापनों को इस हद्द तक संशोधित मान लिया जाये।

(5) यदि कोई ऐसा विस्थापित परिवार/व्यक्ति हो जिसने विस्थापितों को दिये गये अस्थाई पट्टों के अलावा, विस्थापितों के लिये सुरक्षित/नियत बसाहटों में कोई अतिक्रमण कर लिया है, उस दिशा में मास्टर प्लान एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या तो उसे विस्थापितों के साथ उपरोक्तानुसार व्यवस्थापित किया जाय या अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।

7. उपरोक्तानुसार स्थाई पट्टे दे दिये जाने के पश्चात् स्थाई पट्टों की सामान्य शर्तें विस्थापित परिवारों पर भी लागू होंगी। एकरूपता की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया है कि सागर जिले में विस्थापितों को दिये गये पट्टों में जो अतिरिक्त शर्त क्र. 11 जोड़ी गई है, वह अनावश्यक है और उसे विलोपित किया जावे।

8. यह निर्णय प्रदेश के उन सभी स्थानों के लिये लागू होगा जहां भारत-पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार बसाये गये थे चाहे वे सिन्धी हों या अन्य।

9. यह पुनः अभिलिखित किया जाता है कि शासन का यह निर्णय और मन्शा है कि विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थी परिवारों के व्यवस्थापन का समस्त कार्य अगले **3 माह में** अवश्य निपटा दिया जावे। इस मूल नीतिगत निर्णय के लिये, उपरोक्त निर्देशों और मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में संबंधित कलेक्टर अपने विवेक से स्वयं निर्णय लेंगे। यदि उनको कोई शंका या पृच्छा हो तो वे व्यक्तिगत तौर पर फेक्स अथवा टेलेक्स अथवा वायरलैस आदि का उपयोग कर समाधान मांग सकते हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस ज्ञापन में दिये गये आदेशों के पालन में, पूर्व मे पट्टा आदि देने पर जो सामान्य रोक आदि लगाई गई थी, वह लागू नहीं होगी।

10. इस आदेश के पालन में की गई कार्यवाही की प्रगति निम्न प्रारूप में प्रमुख सचिव, राजस्व को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र द्वारा दिनांक 5-3-94, 20-3-94, 5-4-94, 20-4-94, 5-5-94 और 20-5-94 की स्थिति दर्शाते हुए तब तक प्रतिवेदित की जावेगी जब तक कि आपके जिले में बसाये गये प्रत्येक विस्थापित परिवार का प्रकरण अगले **3 माह** के अन्दर निपटाया नहीं जाता हैः—

(1) बसाहट/कालोनी में बसाये गये विस्थापित परिवारों की संख्या।

(2) 18-2-94 तक स्थाई पट्टे दे दिये जाने की संख्या।

(3) 19-2-94 को लम्बित प्रकरणों की संख्या।

(4) प्रतिवेदित पखवाड़े में दिये गये स्थाई पट्टों की संख्या।

(5) अर्धशासकीय पत्र के दिनांक को लम्बित प्रकरणों की संख्या

(6) विशेष विवरण, यदि कोई हो।

11. कृपया इस ज्ञापन की अभिस्वीकृति भी भेजें।

(स. च. जैन)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ.क्र. एफ-6-144/सात/सा-2बी/89 भोपाल, दिनांक 18-2-199

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल।
5. सचिव, म.प्र. शासन पुनर्वास विभाग, भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
7. संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश, विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एस. सी. शुक्ला)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.